

स्थापना अनुमति की जाँचसूची	
क्रम संख्या	विवरण
ए	जल अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 13* ।
बी	वायु अधिनियम के तहत विधिवत भरा हुआ फार्म नंबर : 1* ।
सी	जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के तहत सहमति शुल्क का सिलवासा या दमण अदायगी वाला प्रदूषण नियंत्रण समिति के नाम से बना डिमांड ड्राफ्ट । *
डी	भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यहास के बिना पूंजी निवेश की जानकारी 20 रूपए के स्टैम्प पेपर का नोटरी शपथ पत्र दे ।
ई	भूमि समझौता/ बिक्री पट्टे की प्रतिलिपि ।
एफ	जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) द्वारा जारी अनंतिम पंजीकरण/ प्रमुख निकासी की प्रतिलिपि।
जी	व्यापक परियोजना विवरण जिनमें निम्न शामिल हो <ol style="list-style-type: none"> १. निर्मित किए जाने वाले उत्पादकों की सूची। २. उत्पाद वार इसतमाल किए जाने वाले कच्चे माल की सूची एवं प्रति माह आवश्यकता की मात्रा। ३. स्थापित किए जाने वाली संयंत्र एवं मशीनरी की सूची। ४. स्थापित किए जाने बॉयलर, थर्मिक फ्लुइड हीटर या डीजल जनरेटर सेट की संख्या, इस्तेमाल की जाने वाल ईंधन एवं ईंधन के खपत की मात्रा । ५. खतरनाक रसायनों का विवरण, रासायनिक नाम, उबालने का समय, फ्लैश बिंदु और किसी भी समय पर भंडारण क्षमता। © ६. खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण एवं आयात अधिनियम, 1989 के अनुसूची नं. 1 के अनुसार खतरनाक रसायनों की सामग्री सुरक्षा विवरण पत्र। © ७. रसायन प्रक्रियाओं सहित उत्पाद वार विस्तृत विनिर्माण प्रक्रिया। ८. उत्पाद वार प्रक्रिया प्रवाह चार्ट। ९. उपव्ययता के संतति का स्रोत एवं इसकी मात्रा । १०. शोधन एवं निर्वहन बिंदु से पहले और बादमें प्रवाह संतति की गुणवत्ता का विवरण । ११. रचना, ब्लू प्रिन्ट एवं शोधन प्रक्रिया सहित बहिः स्त्रावी उपचार संयंत्र का विवरण। १२. प्रकार, मात्रा, संग्रह प्रक्रिया, भंडारण, शोधन एवं निपटान की विधि के साथ ठोस अपशिष्ट (गैर खतरनाक) के उत्सर्जन का विवरण । ## १३. धुआँरा और प्रक्रिया उपकरण/ मशीनरी और स्थापित किए जाने वाले “वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण” का विवरण ब्लू प्रिंट से साथ। १४. धुआँरा से होने वाले उत्सर्जन की शोधन के पहले और बाद की मात्रा एवं गुणवत्ता।
एच	हस्ताक्षर हुए संघ का लेखा ज्ञापन/ साझानामा की प्रति ।
आई	हस्ताक्षर/ दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकार पत्र ।
जे	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), वन विभाग जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के भूमि वन्यजीव अभयारण्य के बरफ क्षेत्र के भीतर नहीं आती।

ध्यान दें।

१. सहमति के निपटारे की समय सीमा 90 दिनों की है।
२. सफ़ेद श्रेणी उद्योगों को वायु अधिनियम के तहत आवेदन देना जरूरी नहीं है । (क्रम सं. बी)

* आवेदन फार्म भरते समय फार्म में कोई भी जगह खाली ना छोड़े और “परियोजना विवरण के अनुसार” एवं “जैसे पहले दिया था” या अन्य इसी तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें।

अधिसूचना नंबर पीसीसी/डीएमएन/13- iii/1999 दिनांक 03/05/1999 के अनुसूची-V के तहत डिमांड ड्राफ्ट द्वारा सहमती शुल्क भुगतान की संरचना भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी सहित मूल्यहास की गई है।

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, संभालना एवं सीमा गतिविधि) नियम, 2008 को को देखें।